

बिहार सरकार,
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०-निग/सारा-4 (पथ) आरोप-45/12

29(3)

पटना, दिनांक :- 02/11/18

श्री आलम हुसैन, तत्कालीन सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत मिठनपुरा चौक से कलमबाग चौक होते हुए ठाकुर नर्सिंग होम तक कराये गये पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के संबंध में कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-2 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पायी गयी त्रुटियों/अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7923 (एस) दिनांक-21.08.15 द्वारा श्री हुसैन के विरुद्ध प्रपत्र-'क' के तहत कुल 3 आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन के पत्रांक-73 (अनु०) दिनांक-03.02.17 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री हुसैन के विरुद्ध प्रपत्र-'क' के तहत गठित सभी 3 (तीन) आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के तहत अंकित निष्कर्ष/मंतव्य के विभागीय समीक्षोपरांत उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं को रेखांकित करते हुए श्री हुसैन से विभागीय पत्रांक-6391 (एस) अनु० दिनांक-17.07.17 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

4. श्री हुसैन के पत्रांक-1483 दिनांक-16.09.17 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के तहत मुख्य रूप से MORTH के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए पथ परत में पायी गयी त्रुटियों के लिए सीमेंट, बालू एवं चिप्स के Bulk delivery समान रूप से नहीं होने आधार इनके वास्तविक वजन के Ratio एवं निर्धारित Ratio में विचलन को अपरिहार्य माना गया है, जिसके लिए स्वयं के दायित्वों की इतर व्याख्या कर इसे विषयांतरित करने का प्रयास मात्र किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्णित कार्य में पानी का उपयोग भी अंदाज से ही किये जाने के फलस्वरूप निर्धारित मात्रा से अधिक पानी मिलाये जाने से Passage या voids के निर्माण को भी Compressive Strength में 50 प्रतिशत तक की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जो तकनीकी दृष्टिकोण से परिस्थितिजन्य एवं अति सतही तर्क प्रतीत होता है। इस प्रकार, श्री हुसैन के द्वारा अपने तकनीकी पक्ष की सुविधा को ही दृष्टिपथ में रखते हुए प्रासंगिक नियमों/प्रावधानों को misinterpret करते हुए गैर तथ्य परक तत्वों के आधार पर अनियमित रूप से दावा किया गया है, जो युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

5. इसी प्रकार, आरोप संख्या-02 के संबंध में श्री हुसैन के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया जाना कि निरीक्षण के समय निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया-तथ्यगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रश्नगत मामले में स्पष्ट रूप से पी०सी०सी० कार्य की प्रावधानित औसत मुटाई 300 एम०एम० के स्थान पर 284 एम०एम० पायी गयी और श्री हुसैन के तर्क के अनुसार यदि पृथक रूप से भी तीनों क्रॉस सेक्शन पर आकलित मुटाई क्रमश 303 एम०एम०, 276 एम०एम० एवं 212 एम०एम० पाये जाने के आधार पर भी मामले की समीक्षा की जाय, तो सन्निहित प्रावधानों की तुलना में दो क्रॉस सेक्शन पर काफी कम मुटाई पाये जाने की पुष्टि होती है, जिसके संबंध में श्री हुसैन के द्वारा कोई तर्कसंगत तथ्य नहीं रखे जाने के फलस्वरूप यह दावा भी स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।


6. आरोप संख्या-03 के संबंध में श्री हुसैन के द्वारा यह कहना कि कंक्रीट क्यूब टेस्ट के लिए कम से कम 48 अदद cylindrical core of concrete की जाँच की आवश्यकता थी, परन्तु उड़नदस्ता प्रमंडल द्वारा मात्र 10 अदद सैम्पल जाँच के आधार पर ही Compressive Strength का आकलन कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया-प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रश्नगत पी०सी०सी० का Compressive Strength स्पष्ट रूप से 200kg/cm² के स्थान पर मात्र 124kg/cm² ही पाया गया है, जो प्रावधान का मात्र 62 प्रतिशत है, जिसके खंडन के संबंध में भी गुण नियंत्रण ईकाई के रूप में श्री हुसैन के द्वारा कोई ठोस तर्क अथवा साक्ष्य नहीं रखा गया है।

7. जहाँ तक प्रमाणिक विधि की अनदेखी कर calcium content assume करने एवं control sample नहीं लिये जाने का प्रश्न है तो स्पष्ट है कि सीमेंट, बालू एवं चिप्स के निर्धारित अनुपात 1:5.5:3 के स्थान पर प्रावधान से कम 1:4.63:7.16 पाया जाना कार्य का स्वतः sub-standard होना प्रमाणित करता है और उक्त संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के द्वारा भी कोई तर्कसंगत अभिमत गठित नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप श्री हुसैन का द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत मामले में समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को सरकार के निर्णयानुसार अस्वीकृत करते हुए सम्यक् विचारोपरांत प्रमाणित आरोपों का दोषी पाते हुए श्री हुसैन को निम्न दंड संसूचित किया जाता है :-

(i) एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

 02/04/18

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


पटना, दिनांक :- 02/1/18

ज्ञापांक :-

30(5)

प्रतिलिपि :-

उप सचिव, प्रभारी ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को इस अधिसूचना को विभागीय web site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

 02/04/18

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


पटना, दिनांक :- 02/1/18

ज्ञापांक :-

30(5)

प्रतिलिपि :-

महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 02/04/18

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


पटना, दिनांक :- 02/1/18

ज्ञापांक :-

30(5)

प्रतिलिपि :-

प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1/2), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/2/6/13/14, एवं रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री आलम हुसैन, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 02/04/18

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

02/1/18